संख्या:13/2025/04BP/35-1-2025/35-1099/32/2021

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ दिनांक: 17 मार्च,2025

विषय: बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में पशुधन विभाग की परियोजना हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बुन्देलखण्ड पैकेज के अधीन वित्तीय वर्ष 2018-19 में शासनादेश संख्या: 30/2018/ 107 बीपी/35-1-2018, दिनांक 19 नवम्बर, 2018 द्वारा पशुधन विभाग की 03 परियोजनाओं में से 01 परियोजना यथा- **बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महिला समृद्धिकरण समृद्धिकरण ब्रायलर पालन योजना** की रू. 70.00 करोड़ की लागत पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किश्त के रूप में धनराशि अवमुक्त की गई थी। प्र0 विभाग द्वारा परियोजना के कार्यों हेतु मार्च, 2024 तक रू. 26.44 करोड़ का व्यय किया गया तथा रू0 43.56 करोड़ की धनराशि अवशेष बची।

2- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में शासनादेश संख्या:145/2024/26बीपी/35-1-2024/35-1099/32/2021, दिनांक 08 अगस्त, 2024 द्वारा **बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महिला समृद्धिकरण ब्रायलर पालन पालन योजना** हेतु रू. 24.50 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई। निदेशक, पशुपालन विभाग के पत्र संख्या-75/सात-3/कुक्कुट/बु0ख0पै0/2024-25 दिनांक 06 मार्च, 2025 द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु चालू चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष रू0 19.13 करोड (75 प्रतिशत से अधिक) का व्यय होना इंगित करते हुए, रू0 5.00 करोड़ की मांग की गई है।

3- एतद्द्वारा प्रश्नगत परियोजना के अवशेष कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभागीय मांग के अनुरूप रू. 5.00 करोड़ (रूपये पांच करोड़ मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण, शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. करोड़ में)

परियोजना का नाम	अनुमोदित लागत	माह मार्च, 2024 तक व्यय	वित्तीय वर्ष 2024-25			अब तक कुल व्यय धनराशि	विभागीय मांग की धनराशि	अवमुक्त धनराशि
			अवशेष आवश्यकता	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	व्यय धनराशि			
बुन्देलखण्ड क्षेत्र में महिला समृद्धिकरण ब्रायलर पालन योजना	70.00	26.44	43.56	24.50	19.13	45.57	5.00	5.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1. सन्दर्भित शासनादेशों दिनांक 19 नवम्बर, 2018, दिनांक 25 जून, 2019, दिनांक 27 जनवरी, 2021, दिनांक 09 अगस्त, 2021, दिनांक 07 जुलाई, 2022 एवं दिनांक 08 अगस्त, 2024 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।
2. प्रशा0 विभाग द्वारा योजना के सम्बन्ध में पूर्व निर्गत दिशा-निर्देशों/भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
3. प्रशा0 विभाग द्वारा धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिस मद के लिए वित्तीय स्वीकृति स्वीकृति निर्गत की जा रही है।
4. स्वीकृत धनराशि का आहरण एकमुश्त न करके वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कोषागार से किया जायेगा और धनराशि को किसी भी दशा में बैंक अथवा पोस्ट आफिस में नहीं रखा जायेगा।
5. प्रश्नगत कार्यों हेतु उपलब्ध हुई इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप समयबद्ध ढंग से विलम्बतम 31 मार्च, 2025 तक पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त बचती है तो उसे उक्त दिनांक से पूर्व समर्पित किया जायेगा।
6. राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून, 2025 तक अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।
7. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय/ प्रगति सम्बन्धी अपेक्षित विवरण उपलब्ध कराने का दायित्व पशुधन विभाग का होगा। तदनुसार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की पूर्व निर्धारित प्रारूप पर सूचना प्रत्येक माह की 07 तारीख तक नियोजन विभाग को प्रेषित की जायेगी।
8. वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांकः 04 मार्च, 2024 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रू. 5,00,00,000/- (रूपये पांच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 040 **लेखाशीर्षक** 2575028000418 पशुधन विभाग की परियोजनायें (के.100/रा.0-के.) **मानक मद** 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:13/2025/04BP(1)/35-1-2025/35-1099/32/2021 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मण्डलायुक्त, झांसी/चित्रकूट धाम।
6. जिलाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/महोबा/बांदा/चित्रकूट/हमीरपुर।
7. मुख्य विकास अधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/महोबा/बांदा/चित्रकूट/हमीरपुर।
8. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/महोबा/बांदा/चित्रकूट/हमीरपुर।
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, झांसी/ललितपुर/जालौन/महोबा/बांदा/चित्रकूट/हमीरपुर।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
राजेन्द्र प्रसाद
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।